राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 499/2025

महेन्द्र कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिवालय, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन), परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. जिला परिवहन, अधिकारी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 13.02.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री नवनीत सिंह बिरख, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, श्री गंगानगर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से जोधपुर में दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरण किया गया। अपीलार्थी का आगे कथन है कि अपीलार्थी किडनी की बीमारी से ग्रसित है, तथा दो बार ऑपरेशन हो चुका है। आलोच्य आदेश के द्वारा 300 किमी दूर स्थानांतरण किए जाने से उसे कठिनाईयों का सामना करना पडेगा। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पद पर निरन्तर कार्यरत रखे जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।
4. अपीलार्थी द्वारा उठाया गया प्रश्न विचारणीय है। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, श्री गंगानगर में कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा जोधपुर में स्थानांतरण किया गया। अपीलार्थी की पारिवारिक एवं चिकित्सकीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते है कि अपीलार्थी अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं अपीलार्थी को वहीं पर कार्यरत रखा जावे जहां पर वह चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य